(145)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक आर.एन./4-1/500/1996 विरूद्ध आदेश दिनांक 28 फरवरी, 1996 - पारित व्दारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना - प्रकरण कमांक 919/1992-93 अपील

हरी सिंह पुत्र नवाव सिंह मिर्धा
ग्राम सिनोर तहसील गोहद जिला भिण्ड ---आवेदक

विरूद्ध

1- सोहराव खॉ पुत्र मन्ने खॉ
2- सेवाराम पुत्र माधुरी जाटव
दोंनो निवासी ग्राम छेंकुरी
तहसील गोहद जिला भिंड ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)
(अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित - एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 19-12-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 919/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-2-1996 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम डॉग छैंकुरी के कोटवार की मृत्यु होने पर कोटवार का पद रिक्त हुआ । नायव तहसीलदार मौ व्दारा रिक्त पद की पूर्ति हेतु प्रकरण कमांक 1/1990-91 अ 56 पंजीबद्ध किया तथा पद पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये, जिस पर आवेदक एंव अनावेदकगण व्दारा आवेदन प्रस्तुत किये। अनावेदक कमांक-2सूचना

उपरांत अनुपस्थित रहने से दिनांक 14-10-91 को एकपक्षीय कार्यवाही हुई। नायव तहसीलदार ने आवेदक एंव अनावेदक कमांक-2 को श्रवण कर आदेश दिनांक 15-10-91 पारित किया तथा अनावेदक कमांक-1 को कोटवार पद पर नियुक्ति प्रदान की। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी गोहद के समक्ष अपील कमांक 48/1991-92 प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 5-11-1992 पारित किया तथा आवेदक की अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील कमांक 919/1992-93 प्रस्तुत हुई जिसमें पारित आदेश दिनांक 28-2-1996 से अपील निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण को सूचना पत्र भेजे गये, किन्तु सूचना के सम्यक निर्वहन का अभाव पाने से पंजीकृत डाक से सूचना पत्र भेजे गये, इसके वाद भी वह अनुपस्थित हैं। अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक कमांक-2 कोटवार पद हेतु आवेदन देने के वाद एंव पेशी की सूचना होने के वाद अनुपस्थित रहने से उसके विरूद्ध दिनांक 14-10-91 को एकपक्षीय कार्यवाही हुई, किन्तु उसने नायव तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त कराने का प्रयास नहीं किया है तथा नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 15-10-91 के विरूद्ध अपील भी नहीं की है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में इस अनावेदक के सम्बन्ध विचार नहीं किया जा रहा है। जहॉ तक आवेदक को नायव तहसीलदार व्दारा कोटवार नियुक्त न करने एंव उसका आवेदन अमान्य करने का प्रश्न है ? प्रकरण के अवलोकन पर पाया

गया है कि जब नायव तहसीलदार व्दारा प्रकरण कमांक 1/1990-91 अ 56 में कोटवार पद के उम्मीदवारों के सम्बन्ध में जॉच की जा रही थी, तत्समय आवेदक के विरूद्व भारतीय दण्ड विधान की धारा 307 का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन रहा है एंव थाना प्रभारी ने भी इसी आशय का प्रतिवेदन नायव तहसीलदार को प्रस्तुत किया है। आवेदक ग्राम डॉग छैंकुरी का निवासी होना भी नहीं पाया गया है , जिसके कारण नायव तहसीलदार ने आवेदक के बजाय अनावेदक कमांक-1 को कोटवार पद के लिये योग्य उम्मीवार पाने से नियुक्त किया है और इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी गोहद ने तथा अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना ने आवेदक व्दारा प्रस्तुत अपील निरस्त की हैं। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के अवलोकन पर उनके व्दारा निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निग़रानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 919/1992-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-2-1996 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर